



कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 298011

E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

- सेवा में,
- पत्रांक दिनांक
- श्री चन्द्रशेखर सिंह,
परियोजना सहायक प्रबंधक,
नार्थ करणपुरा, ट्रांसको लिमिटेड, राँची।
- विषय:- चतरा जिला अन्तर्गत नार्थ करणपुरा से गया 400 के.बी. डी/सी ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 193.5525 हे० (चतरा उत्तरी- 61.71 हे०, चतरा दक्षिणी- 116.4836 हे०, लातेहार- 15.3589 हे०) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।
- महाशय,
- उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि आपने अपने पत्रांक NKTL(S)/2020-21/F67 दिनांक 24.08.2020 द्वारा उक्त ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु हार्ड कॉपी प्रस्ताव नौ प्रतियों में एवं ऑनलाईन इस कार्यालय में समर्पित किया है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि निम्नवत त्रुटियाँ/ आवश्यक अभिलेख वांछित है-
1. पार्ट-1 की कड़िका A-1(iii) में वनभूमि लेने का क्या औचित्य है के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। स्पष्ट किया जाय।
 2. प्रस्ताव में प्राधिकृत पदाधिकारी का पत्र संलग्न है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी का पूर्ण विवरणी (नाम, पदनाम, सरकारी मोबाईल नं०, पी.एन.टी. नं०, सरकारी ई-मेल आईडी, सरकारी फ़ैक्स नं० तथा पत्राचार का पता ईत्यादि) अंकित होना अनिवार्य है जो नहीं है।
 3. प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में प्लॉटवार लम्बाई एवं चौड़ाई अंकित नहीं है।
 4. प्रस्ताव में गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
 5. प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षों की गणना सूची सारांश के साथ संलग्न नहीं है, संलग्न किया जाय।
 6. प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों पर नम्बरिंग करते हुए चेक लिस्ट तैयार कर अनुलग्नक के साथ प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, मुहर एवं हस्ताक्षर सहित संलग्न होना अनिवार्य है जो नहीं है।
 7. प्रस्ताव में जिला के मूलभूत सूचनाएँ संलग्न नहीं है, संलग्न किया जाय।
 8. प्रस्ताव में संलग्न ऑथेन्टिक लैण्ड शिड्यूल के अवलोकनोंपरांत पाया गया कि कई प्लॉटों में भूमि का किस्म अंकित नहीं किया गया है जो निम्नवत है-

क्रम सं०	अंचल	मौजा का नाम	प्लॉट नं०	रकबा	भूमि का किस्म	अभ्युक्ति
1	सिमरिया	नवादा	851	0.263		
2	सिमरिया	कसारी	1678	0.172		
			1679	0.081		
			1040	0.100		
			1041	0.262		
			1043	0.084		
			1045	1.602		
			1046	2.133		
			1066	0.017		
			1067	0.096		
			1068	0.262		
			1069	0.75		
			110	0.179		
			111	0.116		

			112	0.010		
			113	0.061		
			114	0.113		
			115	0.004		
			116	0.042		
			118	0.247		
			119	0.018		
			120	0.310		
			121	0.426		
			122	0.012		
3	सिमरिया	कासियातु	935	0.011		
			937	0.000		रकबा अंकित नहीं है।
			948	0.021		
			949	0.006		
			971	0.158		
			972	0.046		
			973	0.288		
			978	0.801		
			983	1.183		
			1199	0.024		
			1258	0.000		रकबा अंकित नहीं है।
			1263	0.002		
			1269	0.023		
			1270	0.013		
			1272	0.700		
			1284	0.141		
			1298	0.078		
			1300	0.058		
4	सिमरिया	केन्दु	28	0.175		
			31	0.104		
			359	0.180		
			373	1.795		
			38	0.001		
			380	0.436		
			388	0.164		
			389	0.143		
			39	0.113		
			390	0.057		
			393	0.448		
			396	0.073		
			421	0.292		
			422	0.345		
			423	0.051		
			424	0.004		
			425	0.012		
			485	0.084		
			488	0.003		

			89	0.055		
5	सिमरिया	दुन्दुआ	12	0.052		
			13	0.033		
			130	0.037		
			20	0.007		
			21	0.226		
			27	0.247		
			28	0.139		
			29	0.013		
			30	0.046		
			32	0.041		
			33	0.036		
			34	0.030		
			35	0.033		
			59	0.048		
			62	0.020		
			65	0.016		
			67	0.025		
			9	0.219		
			NA	0.073		प्लॉट नं0 अंकित किया जाय।
			1132	0.461		
			1195	0.227		
			1227	0.020		
			513	0.166		
			514	0.039		
			533	0.000		रकबा अंकित नहीं है।
			670	0.188		
			705	0.004		
			717	0.006		
			721	0.079		
			724	0.020		
			728	0.014		
			785	0.065		
			789	0.016		
			801	0.136		
			812	0.034		
			912	0.106		
			914	0.023		
			915	0.034		
			NA	0.474		प्लॉट नं0 अंकित किया जाय।
6	सिमरिया	कुठौन	146	0.047		
7	सिमरिया	बगरा	814	0.128		
			815	0.1326		
			816	0.0092		
			817	0.0551		

			822	0.0859		
			824	0.0991		
			825	0.0087		
			830	0.0472		
			846	0.1259		
			916	0.0396		
			1051	0.1525		
			1065	0.0949		
			1081	0.0755		
			1086	0.0046		
			1087	0.1010		
			1088	0.0422		
			1212	0.0033		
			1213	0.0109		
8	सिमरिया	कसारी	708	0.1401		
			1149	0.0561		
			1643	0.1326		
			1646	0.3385		
9	सिमरिया	कासियातु	320	0.2384		
			330	0.1043		
			331	0.0417		
			332	0.3696		
			333	0.0288		
			334	0.0218		
			344	0.0007		
			345	0.0342		
			346	0.0952		
			348	0.0410		
			351	0.2175		
			352	0.0253		
			353	0.1713		
			416	0.0272		
			421	0.000		रकबा अंकित नहीं है।
			422	0.0730		
			428	0.0064		
			429	0.0694		
			430	0.1052		
			431	0.0038		
			437	0.0392		
			438	0.000		रकबा अंकित नहीं है।
			440	0.4428		
			459	0.4223		
			465	0.0186		
			467	0.0032		
			469	0.0537		
			486	0.0508		
			488	0.1064		

	499	0.0379		
	782	1.0124		
	304	0.0250		
	306	0.0089		
	307	0.3447		
	308	0.3047		
	309	0.4079		
	310	0.0137		
	311	0.0009		
	313	0.1531		
	314	0.2582		
	317	0.0130		
	318	0.0114		
	320	0.3376		
	1086	0.0263		
	1069	0.1069		

इसी प्रकार मौजा केन्दु, नवादा, पाठकखाप, सेरेनदाग, जोगियाडीह, लमटा, बारा, बड़गाँव, भौंग, गेरी, गरवाडीह, लरकुआ, नरतमा, ब्रहमणा, फरिन्दा के कई प्लॉटों में भूमि का किस्म अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में किसी भी वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में शामिल वैसे प्लॉट जिनकी प्रकृति कैडेस्ट्रल सर्वे या रिवीजनल सर्वे होने की स्थिति में 25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे के आधार पर संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रपत्र-1 में प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा एवं उक्त प्रमाण-पत्र के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आदेश के साथ प्रपत्र-2 में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र समर्पित की जायेगी।

अतः उपरोक्त त्रुटियों/वांछित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं रहने के कारण प्रस्ताव की सभी मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु०-यथोक्त-

विश्वासभाजन,

ह०/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

ज्ञापक- 335

दिनांक- 29.1.2021

प्रतिलिपि- प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

29.01.2021

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

29/1/2021